

29 09
25

आज यह पत्रावली पेशा ड्रॉ वकील
 पार्थ उपाध्याय उद्दे सुभा राधा पत्रावली
 एवं इसमें प्रस्तुत डलावेगी रिपोर्ट का
 अवलोकन किया गया / चूंकि प्रारम्भ
 से सम्बन्धित मूल वाद का अन्तिम रूप
 से निराला हो चुका है अतः सब
 प्रारम्भ को चलाए जाने का कोई
 औचित्य नहीं है।

अतः प्रारम्भ अन्तर्गत धारा 212

RTA इसी स्तर पर खारिज किया
 जाता है तथा इस का प्रत्येक डाय
 जारी स्वयं दिनांक 09.11.23 निराला
 किया जाता है।

पत्रावली के लिये प्रारम्भ डे कालम्ब
 के रूप में तथा संलग्न मूल वाद है।

(राधे श्याम शीला)
 उपखण्ड अधिकारी
 मुम्बई (मिलपुणे संकेतकेंद्र)
 मुम्बई